



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-297/2022

दिनांक- 08-सितम्बर-2022

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत 08 अभियुक्तों के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोली गई

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनुराग आर्य के निर्देशन पर जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों से 08 अभियुक्तों की हिस्ट्रीशीट खोली गई, जिसका विवरण निम्नवत है:-

जीयनपुर:-

अभियुक्त अमरजीत यादव पुत्र स्व. वसन्त यादव, निवासी छतरपुर, थाना जीयनपुर आजमगढ़

➔ अभियुक्त द्वारा जनपद मऊ व आसपास के जनपदों में अवैध असलहों की तस्करी का अपराध किया गया एवं जनपद मऊ में अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री की बरामदगी की गई थी। जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या:- 82-A है।

बिलरियागंज:-

अभियुक्त मों राशिद पुत्र इफ्तेखार निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़

➔ अभियुक्त द्वारा हत्या, अवैध असलहा रखना, पुलिस पर जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करना, गोवध, गौ तस्करी जैसे जघन्य अपराधों में शामिल रहा है। इसके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ सहित आसपास के जनपदों में लगभग 9 अभियोग पंजीकृत है। जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या:- 57-A है।

दीदारगंज:-

अभियुक्त करन उर्फ डब्बू पुत्र केदार राजभर निवासी पुष्पनगर थाना दीदारगंज आजमगढ़

➔ अभियुक्त द्वारा महिला का अपहरण कर जान से मारने की नियत से मारना व वाहन चोरी कर नम्बर प्लेट बदलकर बेचना तथा पुलिस पार्टी पर गोली चलाना जैसे अपराध कारित किये गए हैं। जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या:- 77-A है।

रानी की सराय

अभियुक्त मों. हेसाम पुत्र मों. रफीक, निवासी-सिरसाल थाना रानी की सराय आजमगढ़

➔ अभियुक्त द्वारा गौकशी व हत्या जैसे संगीन अपराध करना। जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या:- 48-A है।

गम्भीरपुर

अभियुक्त नितिश उर्फ साधु पुत्र स्व. प्रदीप धरिंकार निवासी सराय पलटू थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

➔ अभियुक्त द्वारा अपराधियों के साथ मिलकर आम जनता में दहशत फैलाकर अपराध करना व अपने सहयोगियों के साथ पुलिस टीम पर फायर करना। जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या:- 151-A है।

मुबारकपुर

अभियुक्त रजनीश यादव पुत्र वंशराज यादव निवासी मैगापुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़

➔ अभियुक्त द्वारा रंगदारी, मारपीट, हत्या जैसे जघन्य अपराध करना। जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या:- 78-A है।

महाराजगंज

अभियुक्त अनिरुद्ध यादव पुत्र स्व. राजदेव यादव निवासी देवारा जदीद थाना महाराजगंज आजमगढ़

➔ अभियुक्त द्वारा अवैध शराब बिक्री व तस्करी करना। जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या:- 90-A है।

मेंहनगर

अभियुक्त मों. जहीर पुत्र स्व. अब्दुल रशीद निवासी फतेपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़

➔ अभियुक्त द्वारा जनपद आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में पशु तस्करी व गोवध के अपराध में संलिप्त होना। जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या- 139-A है।

थाना सरायमीर

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदंड की सजा

दिनांक- 22.08.2017 की बीती रात अभियुक्त संजय पुत्र चंद्रधारी निवासी फरीदपुर थाना सरायमीर द्वारा वादी की 20 वर्षीय लड़की को अकेला पाकर दुष्कर्म किया गया था। जिसमें थाना सरायमीर पर मु. अ.सं.164/2017 धारा 376 IPC पंजीकृत किया गया। विवेचना का निष्पादन कर माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

आज दिनांक- 08.09.2022 को माननीय न्यायालय ASJ/पास्को कोर्ट-2 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजय पुत्र चंद्रधारी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।

थाना- देवगांव

चेकिंग के दौरान अन्तर्जनपदीय बाइक चोर 03 अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी की एक बाइक व 15 पार्ट्स बरामद

दिनांक 08.09.2022 को उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा जिवली तिराहे पर आने जाने वाले व्यक्ति/वाहन की चेकिंग कर रहे थे कि सूचना मिली कि 03 व्यक्ति मोटरसाइकिल को काटकर उसके पार्ट को अलग कहीं बेचने के फिराक में है। ग्राम कुड़िहर मुख्य मार्ग पर देवगांव जिवली मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर एक कच्चे मकान के पास एक मोटरसाइकिल खड़ी थी व कुछ लोग मोटरसाइकिल की पार्ट को अलग कर रहे थे। पुलिस द्वारा दबिश देकर 03 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों की नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम विजय बहादुर यादव उर्फ जितेन्द्र पुत्र स्व विशेश्वर निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह आजमगढ़ व दूसरे ने अपना नाम छोटेलाल सरोज पुत्र स्व रेखई सरोज निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ व पकड़ी गई महिला ने अपना नाम पुष्पा पत्नी विजय बहादुर यादव उर्फ जितेन्द्र निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह आजमगढ़ बताया। घर की तलाशी लेने पर 01 अदद बिना कटी ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद हुई व घर में ही कटी हुई पैशन प्रो, मोटरसाइकिल के 15 अदद पार्ट बरामद हुए। तीनों अभियुक्तों को समय करीब 11.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 329/22 धारा 41/411/413/414/420 /467/468 भादवि पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हमारा एक गिरोह जो समीपवर्ती जनपदों से मोटरसाइकिल चुराकर उसके अलग-अलग पार्ट्स को बाजार में बेच देते हैं तथा दोनों मोटरसाइकिलों को जनपद वाराणसी से चोरी किये थे। जिसमें एक मोटरसाइकिल को 15 पार्ट्स में अलग-अलग कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किया गया था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 329/2022 धारा 41/411/413/414/420 /467/468 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. अभियुक्त विजय बहादुर यादव उर्फ जितेन्द्र पुत्र

i. मु0अ0सं0 230/2021 धारा 379/411/71 भादवि थाना जैतपुरा वाराणसी

ii. मु0अ0सं0 364/2004 थान 379/411 भादवि बरदह आजमगढ़

iii. मु0अ0सं0 329/2022 धारा 41/411/413/414/420 /467/468 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

2. अभियुक्त छोटेलाल सरोज पुत्र स्व रेखई सरोज

मु0अ0सं0 329/2022 धारा 41/411/413/414/420 /467/468 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

3. अभियुक्ता पुष्पा पत्नी विजय बहादुर यादव उर्फ जितेन्द्र

मु0अ0सं0 329/2022 धारा 41/411/413/414/420 /467/468 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तारी का स्थान- बरदह ग्राम कुड़िहर, दिनांक घटना 08.09.2022 समय 11.55 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- विजय बहादुर यादव उर्फ जितेन्द्र पुत्र स्व विशेश्वर निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह आजमगढ़

2- छोटेलाल सरोज पुत्र स्व रेखई सरोज निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़

3- पुष्पा पत्नी विजय बहादुर यादव उर्फ जितेन्द्र निवासी ग्राम कुड़िहर थाना बरदह आजमगढ़

बरामदगी

1. एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल

2. 15 अदद मोटरसाइकिल की पार्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 अनुपम जायसवाल हे0का0 नन्दलाल सिंह का0 मेराज अली का0 कृष्णमोहन यादव म0का0 प्रियंका कुशवाहा म0का0 मनीषा पाण्डेय चौकी प्रभारी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़